संख्या-544/2023/2471/22-2-2023-17(434)/2009

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 22 अगस्त 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतेन्द्र पुत्र श्री रिसाल सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर हाल जनपद शामली की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-19923/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-07-06-2023) दिनांक-16-06-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतेन्द्र पुत्र श्री रिसाल सिंह, भैंसवाल, थाना-गढ़ीपुख्ता, जनपद-मुजफ्फरनगर हाल जनपद-शामली का निवासी है। दिनांक-28-11-1991 की सुबह लगभग 11:00 बजे वादी व उसके परिजनों द्वारा सिंचाई हेतु खेत में नाली बनाने को लेकर हुए विवाद के दौरान बन्दी ने 07 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी पिस्टल, तबल आदि से हमला कर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-390/1992 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-04, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 09.11.1994 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18.12.1995 द्वारा अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। दिनांक 07.01.2021 तक बन्दी की आयु 52 वर्ष 09 माह 19 दिन है तथा बन्दी द्वारा 27 वर्ष 10 माह 14 दिन अपरिहार तथा 35 वर्ष 02 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध कारित करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 28.11.1991 को वादी व उसके परिजनों द्वारा सिंचाई हेतु खेत में नाली बनाने को लेकर हुए विवाद के दौरान बन्दी द्वारा 07 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी पिस्टल, तबल आदि से हमला कर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सतेन्द्र पुत्र श्री रिसाल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतेन्द्र (बन्दी संख्या-16639) पुत्र श्री रिसाल सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर हाल जनपद शामली को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।
(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-544/2023/2471(1)/22-2-2023 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट,मुजफ्फरनगर/शामली
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका संख्या-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**शासनादेश संख्या-544/2023/2471/22-2-2023-17(434)/2009**

**दिनांक 22 अगस्त, 2023 का संलग्नक**

**सरकार के आदेश**

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सतेन्द्र पुत्र श्री रिसाल सिंह, भैंसवाल, थाना-गढ़ीपुख्ता, जनपद-मुजफ्फरनगर हाल जनपद-शामली का निवासी है। दिनांक-28-11-1991 की सुबह लगभग 11:00 बजे वादी व उसके परिजनों द्वारा सिचाई हेतु खेत में नाली बनाने को लेकर हुए विवाद के दौरान बन्दी ने 07 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी पिस्टल, तबल आदि से हमला कर 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-390/1992 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-04, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 09.11.1994 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 18.12.1995 द्वारा अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। दिनांक 07.01.2021 तक बन्दी की आयु 52 वर्ष 09 माह 19 दिन है तथा बन्दी द्वारा 27 वर्ष 10 माह 14 दिन अपरिहार तथा 35 वर्ष 02 माह 21 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध कारित करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, बन्दी के पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 28.11.1991 को वादी व उसके परिजनों द्वारा सिचाई हेतु खेत में नाली बनाने को लेकर हुए विवाद के दौरान बन्दी द्वारा 07 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी पिस्टल, तबल आदि से हमला कर 03 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता, जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सतेन्द्र पुत्र श्री रिसाल सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।